Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-5, No. II, Aug.-2018, pp.Hin.18-25

प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

डॉ0 होशियार सिंह भाटी, सह–आचार्य
स्नातकोत्तर शिक्षक–शिक्षा विभाग
आई0पी0(पी0जी0)कॉलिज, द्वितीय परिसर, बुलन्दशहर (उ0प्र0) भारत।

प्रस्तावना

भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुये कहा था– "यदि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाय तो हमारे भारत की कल क्या दशा होगी? देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना देश का कर्त्तव्य हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य हैं।"

मुख्य शब्द– सार्वभौमिकरण, प्रगति, धारणा, खाद्यान्न की व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन।

सार्वभौमिकरण शिक्षा का अर्थ है कि विशेष संस्कृति के सभी नागरिकों की अनुक्रियायें जो विचार स्वभाव तथा जीवन शैली को निबद्ध करती है। इस दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती हैं। यदि देश में निरक्षरता है तो निश्चय ही राष्ट्र पर कतिपय शिक्षित व साधन सम्पन्न लोगों का अधिकार हो जायेगा। शिक्षा के अभाव में अज्ञान का विकास होता हैं। विवेक कुण्ठित होता है स्वार्थ पनपता है और आदमी बिकाऊ हो जाता है। जो तनिक से स्वार्थ के कारण पूरे देश को बेचने का साहस कर डालता है। इसीलिये मानव मूल्यों के विकास नागरिक गुणों की उत्पत्ति पढ़ने लिखने तथा गिनने की शिक्षा के साथ–साथ प्रबुद्ध एवं विवेकशील मनुष्य का निर्माण करने के लिये सार्वभौमिक शिक्षा आवश्यक हैं।

सन् 1947 में भारत में 15 प्रतिशत साक्षरता थी। जिस देश में 85 प्रतिशत निरक्षर हों, उस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिये शिक्षा ही सशक्त माध्यम थी। इसीलिये संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक–बालिकाओं की सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी। सार्वभौम शिक्षा का लक्ष्य सन् 1960 तक ही प्राप्त हो जाना चाहिये था किन्तु साधनों के अभाव, जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक कारणों से अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस दिशा में सरकार की ओर से विभिन्न प्रभावशाली योजनायें चलायी जा रही हैं, ताकि प्राथमिक शिक्षा बालक के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हो सके।

सार्वभौमिक शिक्षा के तत्व– सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा अत्यन्त व्यापक है इसका मूल लक्ष्य है– प्रत्येक बालक विद्यालय में जाते रहे तथा शिक्षा प्राप्त करके ही समाज में आये।

इस दृष्टि से सार्वभौम शिक्षा के तीन तत्व हैं।

प्रवेश, धारणा और प्रगति

प्रवेश– प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश अत्यन्त प्रबल तथा अनिवार्य पक्ष हैं। 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बालक विद्यालय में प्रवेश पाये, यह प्रयास किया जाना चाहिये। नामांकन बढ़ने से ही शिक्षा को गति मिलती हैं। परन्तु निर्धनता, अज्ञानता, अशिक्षा तथा जागरूकता के अभाव में अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, वे बालक को आर्थिक इकाई के रूप में मानते हैं इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कम हो पाता है। सरकारी आँकडों के अनुसार 1950–51 ई0 में 43 प्रतिशत 1960–61 में 62.40 प्रतिशत 1970–71 में 76 प्रतिशत 1980–81 में 80.50 प्रतिशत 1985–86 में 85 प्रतिशत नामांकन 6–11 वर्ष के बच्चों का प्राथमिक कक्षाओं के लिये हुआ।

धारणा– धारणा से आशय बालकों का विद्यालय में नियमित रूप से बने रहना हैं। प्रायः किसी न किसी बालकों का विद्यालय में नियमित रूप से बने रहना हैं। प्रायः किसी न किसी कारण से बालक अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रूके रहना उसकी शिक्षा तथा प्रगति में बाधक बना रहता है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई छोड़ने वाले बालकों का प्रतिशत 47 है। पहली से आठवीं तक के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बालकों का प्रतिशत 64.5 हैं।

Scanned by CamScanner

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– यह कार्यक्रम सन् 1994 में शुरू किया गया, वह प्राथमिक शिक्षा को सर्वप्रमुख सुलभ बनाने की एक नई पहल हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार है–

1. सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. प्राथमिक शिक्षा अधूरी छोड देने वाले बालकों की दर 10 प्रतिशत से भी कम करना।
3. प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के सीखने समझने के स्तर में 25 प्रतिशत वृद्धि करना।
4. इस क्षेत्र में सामाजिक व लैंगिक भेद को 5 प्रतिशत से भी कम करना।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना– ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अवरोधन में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1987–88 में शुरू की गयी थी इस योजना के तीन निर्णात्मक तत्व हैं–

1. लड़कों तथा लड़कियों के लिये अलग शौचघर सुविधायें तथा एक बरामदे सहित कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरों की व्यवस्था
2. प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हो जिनमें से यथा सम्भव एक महिला हो।
3. ब्लैक बोर्ड नक्शों, चार्टो, खिलौनों और कार्य अनुभव के लिये उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्री का प्रबन्ध।

मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित सामान्य जानकारी

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था, कि बच्चों को समस्त प्रदेशों में मध्यान्ह अवकाश में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाये।

इस योजना के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकरण के निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति होगी–

1. प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि।
2. छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोक रखना तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्रॉप आउट) में कमी।
3. निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
4. छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना।
5. विद्यालय में सभी जाति और धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध करा कर उनके मध्य सामुदायिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई–चारे की भावना जाग्रत करना।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रवेश में दिनांक 1 सितम्बर, 2004 से पका–पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी हैं। इस योजना के माध्यम से द्वितीय वर्ष 2007–2008 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.94 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका–पकाया भोजन विद्यालय में दिया जाना प्रस्तावित हैं।

योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया हैं।

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्ह प्राथमिक विद्यालयों ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. बच्चों में भाई–चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजना कराना, ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

खाद्यान्न की व्यवस्था

मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देख–रेख में किया जा रहा हैं। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम प्रधान द्वारा अपनी देख रेख में विद्यालय परिसर में बने किचेनशेड में भोजन तैयार कराया जाता हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कराने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उस परिवर्तन लागत को उपलब्ध कराने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हैं।

भोजन बनाने हेतु वित्तिय व्यवस्था

योजना के प्रारम्भ से 14 अगस्त, 2006 तक खाद्यान्न से भोजन बनाने हेतु 1 रूपया/प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से परिवर्तन लागत भारत सरकार द्वारा दी जा रही थी। 15 अगस्त, 2006 से रूपये 2/प्रति छात्र प्रति दिन की दर से दिया जा रहा हैं। इस राशि का 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा हैं। वित्तिय वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत कुल 62648.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई हैं।

भोजन हेतु मीनू की व्यवस्था

मध्यान्ह भोजन की विविधता हेतु सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार का भोजन (मीनू) दिये जाने की व्यवस्था की गई हैं। जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा वह बच्चों की रूचि के अनुसार भी हो। मीनू निर्धारित होने से पारदर्शिता आई है तथा जन समुदाय मीनू के अनुपालन में स्थिति को ज्ञात करने में सक्षम हो सका हैं।

Scanned by CamScanner

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षक की व्यवस्था

विद्यालयों में पके–पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नगर क्षेत्र स्तर पर वार्ड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम और पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय सहायक निर्देशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौपा गया हैं। जनपद स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता को नोडल अधिकारी का दायित्व सौपा गया हैं। विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है, जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया हैं।

योजना का आच्छादन

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत निम्न विद्यालय आते हैं।

1. परिषदीय प्राथमिक विद्यालय।
2. राजकीय एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय।
3. समाज कल्याण विभाग से अनुदानित/सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय।
4. ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्र।
5. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने वाले मदरसे।

समस्या का कथन

प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन के उद्देश्य

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत लघु शोध निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा रहा हैं–

1. प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।
4. मध्यान्ह भोजन योजना के चलते छात्रों के नामांकन का अध्ययन करना।
5. मध्यान्ह भोजन योजना के चलते छात्रों की उपस्थिति का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें

1. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।
3. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

अध्ययन का परिसीमन

शोधकर्ता ने जिला बुलन्दशहर के ब्लॉक चरथावल की सीमा में आने वाले दस प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया, तथा उनसे 50 छात्रों 50 अध्यापकों तथा 50 अभिभावकों का चयन किया गया।

शोधकर्त्ता ने मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं सारक्षता विभाग द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्टों का यथासम्भव अध्ययन किया जो इस प्रकार हैं–

नई शिक्षा नीति (1986) के तहत 1990 ई0 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। राममूर्ति समिति ने दिसम्बर, 1990 ई0 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य सुझावों के अतिरिक्त कहा गया, कि ''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संवैधानिक निर्देश का विस्तार, कर उनमें बच्चों की देखभाल और उन्हें शिक्षा की सुविधा भी दी जानी चाहिए, साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को मौलिक अधिकार बनाने की समस्याओं का पता भी लगाना चाहिये।'' इस समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार बच्चो की देखभाल की बात कही है और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया हैं।

प्रो० अमर्त्य सेन के प्रतिची ट्रस्ट द्वारा 2005 में पं० बंगाल के वरयुम जिले में मध्यकाल भोजन का अध्ययन किया व पाया कि–

1. मध्यान्ह भोजन योजना के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके चलते लड़कियाँ एंव एस०सी० व एस०टी० के छात्रों में नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि हुई हैं।
2. इसके चलते कक्षा–कक्ष में भूखे बने रहने की स्थिति दूर हुई हैं।
3. मध्यान्ह भोजन योजना के चलते विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों की कुपोषण की समस्या को हल किया हैं।
4. इसने सामाजिक संकीर्णता को दूर किया हैं।
5. इसके चलते अध्यापक–अनुपस्थिति पर भी रोक लगी हैं।

Scanned by CamScanner

राजस्थान विश्व विद्यालय एवं यूनिसेफ की प्रो० बीना माथुर ने राजस्थान में मध्यान्ह भोजन योजना की स्थिति का विश्लेषण किया व पाया कि–

1. मेन्यू आधारित मध्यान्ह भोजन का छात्रों के नामांकन व उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव हुआ हैं।

a. 75 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के चलते नामांकन बढ़ा हैं।

b. 85 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के चलते उपस्थिति बढ़ी हैं।

c. 67 प्रतिशत अभिभावकों का मानना है कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक हैं।

d. 85 प्रतिशत अभिभावकों का मानना है कि यह योजना जारी रहनी चाहिये।

2. पके–पकाये मध्यान्ह भोजन के द्वारा कक्षा–कक्ष की भूख की स्थिति को दूर किया गया हैं। विशेष रूप से उन बच्चों को जो पिछड़े हुए परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं।
3. पके–पकाये मध्यान्ह भोजन योजना के चलते छात्रों में सामाजिक समानता का विकास हुआ हैं। वे जाति व वर्ग में भेद–भाव को भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं।
4. मध्यान्ह भोजन योजना के चलते लैंगिक समानता का भी विकास हुआ हैं।

मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना समाज के प्रगति सहयोग ज्योत्सना जैन एवं मिहिरशाह 2005

यह सर्वेक्षण मध्यप्रदेश के 70 सर्वाधिक पिछड़े गांवों में किया गया इसमे निम्न तथ्य सामने आये–

1. 90 प्रतिशत शिक्षकों और रसोइयों ने नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन दिये जाने का दावा किया।
2. 96 प्रतिशत अभिभावकों ने मध्यान्ह भोजन योजना को जारी रखने की बात कही।
3. 63 प्रतिशत अभिभावकों ने इस योजना से छात्रों की अधिगम योग्यताओं में वृद्धि की पुष्टि की। वहीं 74 प्रतिशत शिक्षकों ने छात्रों पर इसके धनात्मक प्रभाव की पुष्टि की।
4. एस०सी०/एस०टी० वर्ग के छात्रों में 43 प्रतिशत, बालिकाओं के नामांकन में 38 प्रतिशत और कुल मिलाकर 15 प्रतिशत की नामांकन वृद्धि दर्ज की गयी।
5. 60 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक थी। जबकि 10 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार यह असंतोषजनक थी तथा 30 प्रतिशत ने इसे पूरी तरह खराब बताया।
6. रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि भोजन की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार हो रहा है।

उदयपुर जिले में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन एवं उनके प्रभाव जुलिया व्ल्यू एवं सेवा मन्दिर 2005

इस रिपोर्ट में आदिवासी समुदाय एवं छोटे किसानों के बच्चों पर मध्यान्ह भोजन के प्रभाव को उजागर किया गया।

1. मध्यान्ह भोजन उदयपुर के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को नियमित रूप से दिया जा रहा हैं।
2. भोजन में विविधता के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।
3. मध्यान्ह भोजन योजना गरीब बच्चों की दैनिक पोषक आवश्यकताओं की पर्याप्त भरपाई कर रहा हैं।
4. नांमाकन व उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की गयी।

मध्यान्ह भोजना योजना–दो राज्यों में योजना के वित्तीय व संगठन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

फरजाना आफरीदीः ई०पी०डब्ल्यू० अप्रैल, 2005 रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के वित्तीय व संगठनात्मक स्तरों की तुलना की हैं–

1. योजना के क्रियान्वयन में सुधार, परन्तु भोजन की गुणवत्ता सुधारने में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता।
2. सुरूचि भोजन नामक नई योजना अधिक आकर्षक व प्रभावी और पूर्व में प्रारम्भ किये गये दलिया कार्यक्रम की अपेक्षा अधिक पौष्टिक।
3. 80 प्रतिशत अभिभावक सुरूचि भोजन योजना से सन्तुष्ट जबकि दलिया योजना में यह प्रतिशत केवल 60 था।
4. 30 प्रतिशत अभिभावकों ने सुरूचि भोजन योजना में ही राशन बाटे जाने का सुझाव दिया।

दिल्ली में मध्यान्ह भोजन योजना

अनुराधाडे क्लेअरे नोरोन्हा एवं मीरा संम्सन– CORD की रिपोर्ट दिल्ली नगर निगम के 12 स्कूलों में किये गये इस सर्वेक्षण के परिणाम इस प्रकार हैं–

1. सभी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन प्राप्त हो रहा है।
2. 53 प्रतिशत अभिभावक भोजन की गुणवत्ता से सन्तुष्ट।
3. बलिकाओं की उपस्थिति पर योजना का अच्छा प्रभाव।
4. पीने के पानी की उपलब्धता न होने के कारण कुछ बच्चों द्वारा स्कूल बीच में छोड़ देना।
5. भोजन के वितरण के दौरान बच्चों में अच्छी आदतों के विकास हेतु कुशल शिक्षकों की आवश्यकता।

Scanned by CamScanner

6. भोजन की पोषकता अथवा उसके कुप्रभावों के सन्दर्भ में शोध की आवश्यकता है।

कर्नाटक की अक्षरा दासोहा योजना पर एक रिपोर्ट डॉ० रामनायक, धारवाड़ वि०वि० 2005

1. विद्यालयों की, विशेषतयाः ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन में तीव्र वृद्धि।
2. अध्यापक अनुपस्थित की दर में कमी। (64 प्रतिशत विद्यालयों में)
3. मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से दिया जाता है।
4. विद्यालयों में पोषक तत्वों, लौह तत्व एवं विटामिन्स की टेबलेट का नियमित वितरण।
5. जाति के आधार पर भोजन परोसने या दिये जाने की किसी भी भेदभाव पूर्ण स्थिति से इन्कार।
6. 72 प्रतिशत अभिभावकों द्वारा बच्चों में जुकाम व कफ की समस्या का निदान होने की पुष्टि।
7. 90 प्रतिशत से अधिक अभिभावक योजना से सन्तुष्ट।
8. 95.9 प्रतिशत छात्रों द्वारा भोजन के रूचिकर होने की पुष्टि तथा 90 प्रतिशत छात्रों द्वारा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की पुष्टि।
9. 95 प्रतिशत बच्चों ने माना कि M.D.M के चलते अध्ययन में उनकी एकाग्रता बढ़ी हैं।

अध्ययन विधि का प्रारूप

प्रस्तुत लघु शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि को आधार मानकर कार्य किया गया है। किसी क्षेत्र में निश्चित तथ्यों की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता हैं।

जनंसख्या– जनसंख्या अनुसंधान का आवश्यक आधार होती है। इकाईयों के समुचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट है, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का अर्थ अध्ययन की इकाईयों के सम्पूर्ण समूह के रूप में लिया जाता हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए बुलन्दशहर जिले के सिकन्द्राबाद ब्लॉक के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के छात्र, अध्यापक तथा छात्रों के माता–पिता अथवा अभिभावक जनसंख्या हैं।

जनसंख्या न्यादर्श चयन

"न्यादर्श, जनसंख्या से चुनी गई इकाईयों का वह समूह होता है, जो सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हैं। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में एक निश्चित प्रतिशत की इकाई का चुनाव ही प्रतिदर्श प्रक्रिया है।

न्यादर्श के कार्य

प्रस्तुत लघु शोध के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले के सिकन्द्राबाद ब्लॉक के समस्त छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों का चयन प्रसम्भाव्यता लॉटरी विधि से किया गया हैं।

शोध के उपकरण

किसी भी अनुसंधान की पूर्ण सफलता उपकरणों के चयन व निर्माण पर निर्भर करती हैं। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इस प्रश्नावली में छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण को जानने हेतु विभिन्न पदों का निर्माण किया गया।

उपकरण का निर्माण–

उपकरण का निर्माण करने के लिए शोधकर्ता ने निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया–

1. योजना– प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योजना से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया, परन्तु कोई भी उपकरण प्रत्यक्ष रूप से छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिये नहीं बनाया गया था। अतः अध्ययन के उद्देश्य, न्यादर्श का स्वरूप व अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति स्वतः दृष्टिकोण प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

2. प्रारम्भिक प्रारूप– उपकरण निर्माण हेतु समस्या से सम्बन्धित साहित्य के अवलोकन के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों तथा अनेकों अभिभावकों से विचार करने के पश्चात् उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण मापनी का निर्माण किया गया।

3. पूर्व परीक्षण– तैयार निर्धारण मापनी को एक प्राथमिक विद्यालय में जाकर कुछ छात्रों तथा अध्यापकों व कुछ अभिभावकों पर पूर्व परीक्षण किया गया, जिससे यह जान सके कि छात्रों, अध्यापकों व अभिभावकों को कौन–कौन से प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तथा वह कौन से प्रश्नों को अन्य दृष्टिकोण से ग्रहण कर रहे हैं। वह कौन से प्रश्न है, जिनका वह उत्तर नहीं देते हैं। पूर्व परीक्षण में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण में पुनः सुधार किये गये।

4. अन्तिम प्रारूप– विशेषज्ञों की राय लेने व पूर्व परीक्षण के पश्चात् प्रश्नों की भाषा को पुनः परिष्कृत किया गया। साथ ही साथ उनके सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य प्रश्नों को निर्धारण मापनी में समाहित किया गया व परिवर्तित किया गया, इस प्रकार अन्तिम प्रारूप में छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए 10–10 प्रश्न लिये गये।

5. उपकरण का मुद्रण– शोधकर्ता द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के उद्देश्य से आवश्यक निर्देशों का उल्लेख करते हुए उपकरण

Scanned by CamScanner

का मुद्रण कराया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट में संलग्न हैं।

परीक्षण का प्रशासन –

आंकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्ता चयनित प्राथमिक विद्यालयों में गया तथा वहाँ के मुखाध्यापकों से अनुमति प्राप्त करके 5 छात्रों तथा 5 अध्यापकों को प्रश्नावली की प्रतियां वितरित की तथा परीक्षा के निर्देशों से उन्हें अवगत कराया।

प्रश्नावली भरने में 10 से 12 मिनट का समय लगा जबकि कुछ छात्रों ने 15 से 20 मिनट का समय लिया। सभी से मांगे गये उत्तर पत्रों का निरीक्षण किया गया कि कोई कथन अनुत्तरित तो नहीं रह गया या किसी कथन को भरने में त्रुटि तो नहीं हुई है। निरिक्षण से ज्ञात हुआ कि परीक्षण क्रियान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई हैं।

भूमिका

अनुसंधान प्रक्रिया के अन्तर्गत आँकड़ों के संकलन के पश्चात् उन्हें मूर्त स्वरूप प्रदान करने हेतु उनका सारणीयन, सांख्यिकीय विवेचन तथा विश्लेषण किया जाता है व क्रमबद्ध, स्पष्ट, संक्षिप्त तथा बोधगम्य बनाया जाता हैं। इससे सांख्यिकीय विवेचन व विश्लेषण में सुविधा होती हैं। संकलित प्रदत्त अपरिपक्व प्रदत्त के रूप में होते है। अपरिपक्व प्रदत्त तब तक बोधगम्य नहीं होते, जब तक कि उनका सांख्यिकीय विश्लेषण कर प्रदत्त से निष्कर्ष न निकाल लिया जाये।

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पनाओं के परीक्षण से सम्बन्धित आँकड़ों को क्रमबद्ध रूप से सारणीकृत करके उनका विश्लेषण परिकल्पनाओं के क्रमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा हैं–

परिकल्पना प्रथम

प्रथम परिकल्पना का कथन है कि, "मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा छात्रों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।"

तालिका–1

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा छात्रों का दृष्टिकोण

	प्रयोज्यों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक मान = 1.31
अध्यापक	50	7.24	1.93	
छात्र	50	7.66	1.28	

स्वतन्त्रता का अंश = 98 अर्थापन

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि अध्यापकों का मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण प्राप्तांकों का मध्यमान 7.24 है तथा छात्रों का मध्यमान 7.66 हैं।

इन दोनों वर्गो के मध्य "t" का गणनात्मक मान 1.31 है। "t" तालिका में 98 आवृति अंश पर मान

.05 सार्थकता स्तर पर = 1.96

.01 सार्थकता स्तर पर = 2.59

अतः गणनात्मक मान 1.31 है जो तालिका के दोनों मानों से कम है। अतः .05 तथा .01 स्तर पर दोनों वर्गो के मध्य सार्थक स्तर का अन्तर नहीं हैं। अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे स्पष्ट है कि मध्यान्ह भोजना योजना के प्रति अध्यापकों तथा छात्रों के दृष्टिकोण में सार्थक स्तर का अन्तर नहीं हैं।

अतः हम कह सकते हैं, कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा छात्रों के दृष्टिकोण में सार्थक स्तर का अन्तर नहीं हैं।

परिकल्पना द्वितीय

द्वितीय परिकल्पना का कथन है कि, "मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।

	प्रयोज्यों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक मान = 0.50
अध्यापक	50	7.24	1.93	
छात्र	50	7.40	1.26	

स्वतन्त्रता का अंश = 98 अर्थापन

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि अध्यापकों का मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण प्राप्तांकों का मध्यमान 7.24 है तथा अभिभावकों का मध्यमान 7.40 हैं।

इन दोनों वर्गों के मध्य "t" का गणनात्मक मान 0.50 है तथा "t" तालिका में 98 आवृति अंश पर मान

.05 सार्थकता स्तर पर = 1.96

.01 सार्थकता स्तर पर = 2.59

अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक स्तर का अन्तर नहीं हैं।

अतः हम कह सकते है कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक स्तर का अंतर नहीं हैं।

परिकल्पना तृतीय

तृतीय परिकल्पना का कथन है कि, मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

तालिका–3
मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों का दृष्टिकोण

	प्रयोज्यों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक मान
छात्र	50	7.66	1.28	=1.04
अभिभावक	50	7.40	1.26	

स्वतन्त्रता का अशं = 98 अर्थापन

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि छात्रों का मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण प्राप्तांकों का मध्यमान 7.66 हैं तथा अभिभावकों का मध्यमान 7.40 हैं।

इन दोनों वर्गों के मध्य "t" का गणनात्मक मान 1.04 हैं तथा "t" तालिका में 98 आवृति अंश पर मान

.05 सार्थकता स्तर पर = 1.96

.01 सार्थकता स्तर पर = 2.59

अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती हैं। इससे स्पष्ट हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक स्तर का अन्तर नहीं हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में सार्थक स्तर का अंतर नहीं हैं।

निष्कर्ष

1. प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस योजना के चलते छात्रों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। छात्रों के नामांकन तथा उपस्थिति में वृद्धि हुई हैं। छात्र बिना किसी भेद–भाव के एक ही पंक्ति में सद्भाव के साथ भोजन करते हैं जिससे भाई–चारा बढ़ा हैं। अपव्यय एवं अवरोधन में भी कमी आयी हैं। 80 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि इससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बहुत सहायता मिली हैं।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उन्हें अच्छा व स्वादिष्ट भोजन मीनू के अनुसार प्रतिदिन मिल रहा हैं। भोजन करने से पूर्व तथा पश्चात् दोनों समय उनका मन पढ़ाई में अधिक लगता हैं। भोजन बनाने से पहले सब्जियों तथा अनाज को अच्छी तरह से धोया जाता हैं। 74 प्रतिशत छात्रों की मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया हैं। कुछ छोटे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की अपेक्षा मिड डे मील की तरफ अधिक रहता हैं।
3. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है, कि योजना का संचालन अति महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। इससे छात्रों को दोपहर में पका–पकाया भोजन मिल जाता हैं। जिससे दोपहर में उन्हें घर खाने के लिए नहीं आना पड़ता। अभिभावकों में कुछ अनपढ़ तथा कुछ पढ़े–लिखे थे, जबकि दस प्रतिशत अभिभावक स्नातक थे। एक स्नातक अभिभावक के अनुसार योजना का लक्ष्य और नीयत तो सचमुच में उत्तम है, किन्तु क्रियान्वयन में जरूर कहीं न कहीं घपला हो रहा हैं। निर्धारित व्यंजनों की और उनकी संख्या की उपेक्षा तथा गुणवत्ता में कमी के चलते छात्रों को वह सब नहीं मिलता जो तय किया गया था। एक अन्य अभिभावक के अनुसार, विद्यालय में बच्चों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है किन्तु बच्चों का उद्देश्य पढ़ना कम और भोजन पाना ज्यादा हैं। कई बच्चे अपने साथ उन भाई–बहनों को भी लाते हैं, जो छात्र नहीं हैं। एक अभिभावक का कहना है कि इस योजना ने अध्यापकों को इतना व्यस्त कर दिया है, कि विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा बाकी काम नहीं हो रहा हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

मिड डे मील कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में चलाए जाने वाले भारत भर के लाखों बच्चों के लिये पर्याप्त पोषण का प्रमुख स्रोत हैं। इन मिड डे मील्स को देने वाली एजेंसियों के साथ अनुबंध करते समय लागत पर नहीं बल्कि सफाई के स्तर और पोषण तथा आहार के स्वास्थयकर तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे आहार का परीक्षण अनुबंध दिये जाते समय किसी पंजीकृत प्रयोगशाला के द्वारा किया जाना चाहिए, और समय–समय पर ऐसी ऐजेसिंयो द्वारा दिये जाने वाले खाने की अचानक जांच भी की जानी चाहिये।

मिड डे मील योजनाओं में साबुत अनाज, साबुत दालों, चीनी के बजाय गुड स्वास्थयकर वसा, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सस्ती सब्जियों, फलों, तरबूज जैसे फलों कें बीज और गिरियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। मौसमी और सस्ते तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फलों को मिड डे मील के एक भाग के रूप में दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये दक्षिण में मिड डे मील तैयार करने के लिये ड्रमस्टिक की पत्तियों और रागी का इस्तेमाल किया जा सकता हैं। खाने के मामले में सफाई और पोषक तत्वों के रख रखाव के लिये कडे नियम होने चाहिए। आहार के पोषण और सफाई संबंधी दिशा निर्देशों के लिये किसी क्वालीफाइड न्यूट्रशनिस्ट की सेवायें ली जा

Scanned by CamScanner

सकती हैं। सामयिक आधार पर आहार की सूची में नई–नई आहार वस्तुओं और विविधता को शामिल किया जाना चाहिऐ। पोषण के लिहाज से ये बेहतर ओर ज्यादा स्वादिष्ट विकल्प हैं। ये हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि संबंधित ठेकेदार ऐसे प्रयास करते हैं, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त योजना के सफल संचालन के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को इस योजना का समय–समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिए तथा अध्यापकों को भी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजना के संचालन में सहयोग करना चाहिये। योजना की बेहतरी के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक को इस योजना का समुचित लाभ मिले और वह देश का एक स्वस्थ नागरिक बन सके और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये सक्षम बने।

भविष्य में अनुसंधान हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध कार्य को सम्पन्न करते समय शोधार्थी को निम्नलिखित क्षेत्रों पर और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस हुई।

1. प्रस्तुत लघु शोध में शोधार्थी ने समय, धन एवं श्रम को ध्यान में रखते हुये चरथावल ब्लॉक के केवल दस प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन किया है भावी शोधकर्ता इसी अध्ययन को पूरे ब्लॉक अथवा पूरे बुलन्दशहर जिले के प्राथमिक विद्यालयों पर कर सकते हैं।
2. प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में शोधार्थी ने केवल छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। भावी शोधार्थी रसोईये तथा इस योजना से जुड़े ग्राम प्रधान प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी शोध कर सकते हैं।
3. प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श में रूप में ग्रामीण क्षेत्र के दस प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया हैं। भावी शोधकर्ता मध्यान्ह भोजन योजना का ग्रामीण एवं बाहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
4. प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों, अभिभावकों तथा अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया हैं। भावी शोधार्थी प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय–अवरोधन के कारणों की विस्तृत व्याख्या, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण आदि पर शोध कार्य कर सकते हैं।
5. प्रस्तुत शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्षो से भावी शोधकर्त्ता अपने अनुसंधान कार्य में आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एस०पी०–भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऐं
2. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
3. भटनागर सुरेश–भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास
4. आर०लाल बुक डिपों, मेरठ।
5. सहयोग, राज परियोजना कार्यालय, लखनऊ
6. मध्यान्ह, भोजन योजना संदर्शिका, जुलाई 2006
7. योजना, नवम्बर 2006
8. कुरूक्षेत्र नवम्बर 2006

Scanned by CamScanner